

अपर सिविल जज, (सी0डि0)
न्यायालय संख्या 9, गाजियाबाद

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय अपर सिविल जज, प्रवर खण्ड, कक्ष संख्या 9, गाजियाबाद।

मूल वाद संख्या 103/2018

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड रोड गाजियाबाद द्वारा
श्री दीनानाथ, अनुसचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

.....वादी

बनाम

1. श्री हरिराम मीना पुत्र श्री राम सहाय मीना, निवासी एम-42बी, रेलवे कालोनी, पानीपत, हरियाणा।
2. श्रीमति प्रकाशी देवी पत्नि श्री ओमपाल सिंह सिरोही, निवासी एफ-167, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद।

.....प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत कराने निरस्त विक्रय पत्र दिनांक 04-05-2006 के दायर की है, लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 16 माह-08 सन् 2019 बवक्त 10:00 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाफिक किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात का दे सकें, हाजिर हो और जनबा देही दावा की करें और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद आनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 07 माह 08 सन् 2019 ई0 जारी किया गया।

इत्तिला

1. अगर आपको यह अन्देश हो कि आपके गवाह मर्जी से हाजिर न होंगे, तो वह अदालत हाजा से सम्मन बई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जायें और जिस दस्तावेज को किसी गवाह हाजिर से पेश कराने का आप इत्तेहफाक रखते है, वह उसे पेश कराई जायें, बशर्ते कि आप खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके, इस उम्र की दरखवास्त गुजरायें।
2. अगर आज मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं, तो रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें, ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की, जो आपकी जान या माल दोनों पर हो, करना न पड़े।

आज्ञा से मुन्सरिम,

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)
न्यायालय संख्या-9, गाजियाबाद